प्राक्कथन

रेल मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शाक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 के अन्तर्गत और लेखा एवं लेखापरीक्षा पर सीएजी के विनियमों के अनुसार की गई थीं।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो खण्डों अर्थात् खण्ड I और खण्ड II में भारत से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड I) में 19 लेखापरीक्षा आपत्तियां अन्तर्विष्ट हैं जिसमें वर्ष 2013-14 के दौरान की गई एक पुनरीक्षा और चार लम्बे पैराग्राफ शामिल हैं। पूर्व वर्षों से संबंधित मामले जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नही किया जा सका और 2013-14 के आगे के अवधि से संबंधित मामले, जहां आवश्यक समझा गया, को भी शामिल किया गया है।

-x-

प्रतिवेदन में प्रयोग किए गए संकेताक्षर

आईआर	भारतीय रेलवे
मरे	मध्य रेलवे
पूरे	पूर्व रेलवे
पूमरे	पूर्व मध्य रेलवे
पूतरे/पू./तट	पूर्व तट रेलवे
उरे	उत्तर रेलवे
उमरे	उत्तर मध्य रेलवे
उपूरे	उत्तर पूर्व रेलवे
उसीरे/उपूसीरे	उत्तरपूर्व सीमांत रेलवे
उपरे	उत्तर पश्चिम रेलवे
दरे	दक्षिण रेलवे
दमरे	दक्षिण मध्य रेलवे
दपूरे	दक्षिण पूर्व रेलवे
दपूमरे	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
दपरे	दक्षिण पश्चिम रेलवे
परे	पश्चिम रेलवे
पमरे	पश्चिम मध्य रेलवे
आरपीयू	रेल उत्पादन इकाईयां
डीएलडब्ल्यू	डिजल लोकोमोटिव वर्क्स
सीएलडब्ल्यू	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
आईसीएफ	एकीकृत कोच फैक्ट्री
आरसीएफ	रेल कोच फैक्ट्री
डीएमडब्ल्यू	डिजल आधुनिकीकरण वर्क्स
पीएसी	लोक लेखा समिति
एफएंडसीएओ	वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी